

राजस्थान का शिक्षा दृश्य – राजकीय और निजी क्षेत्र

□ उपेन्द्र शंकर

देश के शिक्षा-संकेतकों में राजस्थान का स्थान सर्वाधिक निचले पायदान से ऊपर है। पिछले एक दशक से राजस्थान में शिक्षा को लेकर जो तीव्र हलचल हुई, उसको 'अभियान' और 'आन्दोलन' तक कहा गया है। इस समय आधे दर्जन से अधिक कार्यक्रम केवल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित हैं। प्रदेश के शिक्षा-दृश्य में इस हलचल ने क्या गुणात्मक परिवर्तन किया है, यहां उसका जायजा लेने की कोशिश की गयी है। साथ ही, औपचारिक स्कूलों की सरकारी प्रणाली के समान्तर तेजी से उभरते निजी स्कूल तंत्र की गति को भी मापा गया है। आगामी अंकों में अन्य राज्यों के बारे में भी हम ऐसे आकलन छापना चाहेंगे।

चर्चा के दौरान कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा -

(1) चर्चा मुख्यतया राजस्थान की औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित रहेगी।

(2) स्कूली शिक्षा यानी पहली कक्षा से 12 कक्षा तक ही चर्चा का विषय रहेगा।

(3) शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार को आधार बनाया गया है क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और समानता तभी आयेगी, जब हमारे देश के सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जायेगी।

तो पहले राज्य सरकार की बात कहें -

1996-97 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि "शैक्षणिक दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 38.5% है। इसमें 54.9% पुरुष तथा 20.4% महिलायें हैं। शहरी और ग्रामीण तथा पुरुष-महिला साक्षरता की दर में काफी बड़ा अन्तर है। राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।"

अब वास्तविक स्थिति पर आते हैं। यह स्थिति प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1998-99 पर आधारित है।

राजस्थान में विद्यालय एवं विद्यार्थियों की संख्या

स्तर	विद्यालय	%	विद्यार्थी	%
प्राथमिक	34364	63%	7381000	68%
उच्च प्राथमिक	14548	27%	2314000	21%
माध्यमिक	3844	7%	810770	7%
उच्च माध्यमिक	1683	3%	401380	4%

इस सांख्यिकी के आधार पर हम ठोस रूप से कह सकते हैं

कि प्राथमिक स्तर से चलकर उच्च माध्यमिक तक राजस्थान में शिक्षा का आधार लगातार संकुचित हो रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊपर के आंकड़ों से हम देखते हैं जहां एक तरफ स्कूलों में 63% प्राथमिक विद्यालय हैं, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 27% और माध्यमिक स्तर पर 7% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 3% रह जाते हैं। इस प्रकार विद्यालयों का अनुपात है :-

प्राथमिक : उच्च प्राथमिक	2.47 : 1
उ. प्राथमिक : माध्यमिक	3.70 : 1
माध्यमिक : उच्च माध्यमिक	2.29 : 1

विद्यालयों में यह संकुचन विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट (?) का तकनीकी आधार तैयार करता है।

शिक्षा व्यवस्था के दूसरे महत्वपूर्ण घटक विद्यार्थियों को आधार मान कर गणना करें तो हम पाते हैं कि 1998-99 में इन विद्यालयों में नामांकित कुल विद्यार्थियों में से 68% विद्यार्थी (7381000) कक्षा 5 तक नामांकित हैं तो कक्षा 6 से 8 तक पहुंचते पहुंचते इनका प्रतिशत 21% (2314000), कक्षा 9 से 10 में 7% (810770) और कक्षा 11-12 में 4% (401380) रह जाता है।

यहां पर यह बातें साफ कर देना निहायत जरूरी है, पहली यह कि विद्यार्थियों की संख्या नामांकन की है, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे का स्कूल में पंजीकरण है, वो स्कूल जाता है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी यह कि नामांकन के ये आंकड़े प्रतिवर्ष 31 मार्च को प्रसारित होते हैं।

इन दोनों तथ्यों से यह बात साफ हो जाती है कि कितने विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और कितने विद्यार्थी बीच में ही स्कूल छोड़ गये, यह हमें इन आंकड़ों से पता नहीं लगता। लेकिन इसका कुछ अन्दाजा हमें इस तथ्य से लग सकता है कि कक्षा

10 के लिए वर्ष 1998-99 में कुल 468234 विद्यार्थी पंजीकृत हुये, लेकिन परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या केवल 429789 थी। इस प्रकार 38445 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। लेकिन क्यों? कारणों का साफ साफ पता इन आंकड़ों से नहीं लगा सकते।

अब हम शिक्षा व्यवस्था के तीसरे महत्वपूर्ण घटक यानी आध्यापकों पर आते हैं। राजस्थान में स्तरवार अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है।

प्राथमिक विद्यालय	98932 अध्यापक(33%)
उ.प्रा. विद्यालय	107316 अध्यापक (36%)
माध्यमिक विद्यालय	49251 अध्यापक (16%)
उच्च माध्यमिक विद्यालय	43163 अध्यापक (15%)

अध्यापकों का भी संकुचन हो रहा है जो कि स्कूल और विद्यार्थियों के आधार पर की गयी गणना के अनुरूप ही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत अधिक होने का कारण, शायद, प्राथमिक स्तर पर हमारे प्रदेश में बहुत से एकल अध्यापक (एक अध्यापक वाले स्कूल) स्कूल होना है।

यदि शिक्षा लागत का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड शिक्षक-छात्र अनुपात मानें (जैसा कि आर. बी. पारूलेकर ने माना) तो हम पाते हैं कि

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यह अनुपात 1:75 है यानि 75 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक (7381000/98932=75) और उच्च प्राथमिक स्तर पर (2314000/107316= 22) है, माध्यमिक स्तर पर यह केवल 1:16 (810770/49251) तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 401380/43163 यानि 1:9 ही रह जाता है। हम पाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक आते-आते शिक्षक - छात्र अनुपात लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है कि हम सीमित साधनों के होने पर भी बहुत कम विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लागत पर शिक्षा दे रहे हैं। और इसका सीधा सीधा प्रभाव (नकारात्मक) शिक्षा के सर्वव्यापीकरण पर पड़ता है।

अभी तक के शिक्षा व्यवस्था के तीनों महत्वपूर्ण घटकों विद्यालय, विद्यार्थी और अध्यापकों के विश्लेषण के आधार (1998-99) पर हम कह सकते हैं कि उच्च स्कूली शिक्षा में लगातार संकुचन इस प्रदेश की शिक्षा का प्रमुख लक्षण है।

क्या बदलाव आया ?

हम में से अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि, अपनी तमाम कमियों के बावजूद आज भी स्कूली शिक्षा, गरीबों

और निम्न मध्यवर्ग के लोगों के लिए एक मात्र मौका प्रदान करती है (चाहे वह बहुत मामूली मौका हो) जो उनको व्यवस्था के सोपानात्मक ढांचे के मध्य स्तरों तक पहुंचा सकता है। इसलिए अब हम यह देखें कि पिछले सालों में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन हुआ कि नहीं ?

बदलाव की चर्चा करते समय कुछ सीमाओं को इंगित करना आवश्यक है।

1. सांख्यिकी का एक लम्बी समय-सारणी में लगातार उपलब्ध न होना।

2. उपलब्ध सांख्यिकी में कुछ मदों पर आंकड़ों का उपलब्ध न होना या किसी अन्य मद पर सम्मिलित रूप से उपलब्ध होना, जिन्हें कि अलग अलग नहीं किया जा सके।

	प्रा. स्कूल	उ. प्रा. स्कूल	मा. स्कूल	उ.मा. स्कूल	कुल
1993-94	33087(70%)	9853 (21%)	3336(7%)	1088(2%)	47364
1996-97	33801(65%)	12692(25%)	350(7%)	1404(3%)	51398
1998-99	34364(63%)	14548(27%)	3844(7%)	1683(3%)	54439

उपरोक्त सारणी से साफ जाहिर है कि राज्य की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन विगत 5 वर्षों में नहीं हुआ। 1993-94 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कुल विद्यालयों की संख्या का 70% थी जो कि 1998-99 में 63% रह गई। हां शुद्ध रूप में अवश्य बढ़ी 1277। प्रतिशत में इस गिरावट का मुख्य कारण, प्राथमिक विद्यालयों को उ. प्राथमिक विद्यालयों में अधिक अनुपातिक क्रमोन्नति के कारण हो सकता है। उ. प्राथमिक विद्यालयों की शुद्ध प्रगति 4695 की हुई लेकिन कुल विद्यालयों की संख्या के आधार पर 27 -21= केवल 6%। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल स्कूल में, माध्यमिक स्कूल 7% ही रहे, जबकि शुद्ध वृद्धि 508 की हुई। उ. माध्यमिक स्कूलों में कुल वृद्धि 7075 की है, जबकि कुल स्कूलों में प्रतिशत के आधार पर वृद्धि 1% की ही हो पायी। अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन पांच वर्षों में शिक्षा का ढांचा (पिरामिड नुमा) ज्यों का त्यों बना रहा। जड़ता बनी रही।

अब शिक्षा व्यवस्था के दूसरे मुख्य घटक 'विद्यार्थियों' का विश्लेषण करते हैं। आधार नामांकन है।

	प्रा. स्कूल	उ. प्रा. स्कूल	मा. स्कूल/उ.मा. स्कूल	कुल
1993-94	5598000(61%)	1804000 (20%)	1714532(19%)	9116532
1996-97	6656000(67%)	2091000(21%)	1182600(12%)	9929600
1998-99	7381000(68%)	2314000(21%)	1212150(11%)	10907150

उपरोक्त सारणी से हम कुछ महत्वपूर्ण नतीजे निकाल सकते हैं।

1. पांच वर्षों के दौरान, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (नामांकित विद्यार्थियों का) कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत एक प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा। जबकि शुद्ध रूप से 510,000 की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब हुआ कि कुल विद्यार्थियों में उ. प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या लगभग समान बनी रही।

2. प्राथमिक स्तर पर शुद्ध वृद्धि 1783000 विद्यार्थियों की हुई और प्रतिशत 61% से बढ़कर 68% हो गया। यानी की 7% की वृद्धि। यह भारी वृद्धि अभी हाल के वर्षों में विद्यालयों में 'नामांकन उत्सव' के रूप में शुरू की गयी योजना के कारण मुख्य रूप से हुई लेकिन 'उत्सव' के आंकड़ों पर भरोसा करना थोड़ा कठिन है। इसका एक अच्छा उदाहरण है।

सांख्यिकीय एब्स्ट्रेक्ट राजस्थान 1996 के अनुसार 1 मार्च 1994 के (स्कूल रजिस्टर में) नियमित विद्यार्थी के रूप में 34,20,080 विद्यार्थी प्राथमिक स्कूलों में थे। जबकि नामांकन के अनुसार यह संख्या 55,98,000 है, इस प्रकार 21,77,920 विद्यार्थी का फर्क है। अब हम दो स्थितियों पर विचार कर सकते हैं।

1. 2177920 विद्यार्थी नामांकन के पश्चात स्कूल छोड़ गये, इस प्रकार करीब 39 % विद्यार्थी एक साल में ही ड्रॉप आउट हुये।

2. नामांकन के आंकड़े बढ़ा कर दिखाये गये।

दोनों ही स्थितियां, हमारी शैक्षिक व्यवस्थाओं के लिये अभिशाप है।

3. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये सम्मिलित आंकड़े उपलब्ध हैं। यहां पर वर्ष 1993-94 के लिए हमारे पास सांख्यिकीय एब्स्ट्रेक्ट राजस्थान 1996 के आंकड़े ही उपलब्ध हैं, जो कि 31 मार्च 1994 को स्कूल रजिस्टर में नियमित विद्यार्थियों के हैं। इनके अनुसार जहां 1993-94 में 17,14,532 विद्यार्थी थे, वहीं 1998-99 में इनकी संख्या शुद्ध रूप से घटकर 1212150 हो गयी और कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत के रूप में गिरावट आयी 8% की। जबकि (1998-99 के आंकड़े नामांकन के हैं) शुद्ध रूप में गिरावट दिखाती है कि हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था अब सिर्फ जड़ नहीं है बल्कि 'गलना' शुरू हो गयी है।

अब शिक्षा व्यवस्था के तीसरे घटक 'अध्यापकों' की स्थिति पर गौर करते हैं।

अध्यापकों की संख्या

	प्रा. वि.	उ. प्रा. वि.	मा./उ.मा. वि.	कुल
1993-94	85795(36%)	78524 (33%)	73955(31%)	238274
1996-97	95044(36%)	91643(34%)	79561(30%)	266248
1998-99	98932(33%)	107316(36%)	92414(31%)	298662

यहां हम देखते हैं कि शुद्ध रूप से सभी श्रेणी के अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन कुल अध्यापकों की संख्या में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उ. माध्यमिक की संख्या का प्रतिशत लगभग समान रहा। प्रा. विद्यालयों के लिये यह प्रतिशत जहां 3% बढ़ गया, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए समान रहा। यानि कि स्थिति यथावत बनी रही।

शिक्षक छात्र अनुपात की गणना करने पर हम पाते हैं

	प्रा. वि.	उ.प्रा. वि.	मा.+ उ.मा. वि.	कुल
1993-94	1:65	1:23	1:23	1:38
1996-97	1:70	1:23	1:15	1:37
1998-99	1:75	1:22	1:13	1:37

प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात जहां 1:65 से 1:75 तक बढ़ा है वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में 1:23 से 1:13 तक गिरा है। क्या हम इससे यह परिणाम निकालें कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात से अधिक अध्यापक हैं? और हम ज्यादा लागत पर कम विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। तब शिक्षा में समानता के आदर्श को कैसे लागू किया जा सकता है?

राज्य की शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत इन तथ्यों से अधिक उजागर होती है कि वर्ष 1993-94 से 1996-97 के बीच कुल विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई 8.51 % जबकि विद्यार्थी बढ़े 8.91 % तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई 11.94%। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 से 1998-99 के मध्य कुल विद्यालयों में वृद्धि हुई 5.9 % कुल विद्यार्थी बढ़े 9.84 % तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई 12.17 %। यदि हम वृद्धि की इन दरों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरों पर अलग अलग देखें तो स्थिति और साफ होगी। प्राथमिक स्तर पर

	स्कूलों में वृद्धि	विद्यार्थियों में वृद्धि	अध्यापकों में वृद्धि
वर्ष 1993-94 से 96-97 के दौरान	2.15%	18.89%	0.78%
वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान	1.66%	10.89%	4.09%
उच्च प्राथमिक स्तर पर			
वर्ष 1993-94 से 96-97 के दौरान	28.81%	15.9%	6.70%
वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान	14.62%	10.66%	17.10%

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर

वर्ष 1993-94 से 96-97 के दौरान	10.87%	(-) 31.02%	7.58%
वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान	12.68%	2.49%	16.15%

ऊपर की सांख्यिकी, राज्य में शिक्षा की प्रगति के लिये बनी नीतियों की अस्पष्टता, अदूरदर्शिता और अव्यवस्था को साफ तौर पर दिखाती है।

राज्य की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अर्न्तगत राजकीय और अराजकीय दो प्रकार के संगठन हैं। क्योंकि जो वर्ग पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करता है उसने अपनी हैसियत को बनाये रखने के लिए निजी या अराजकीय प्रणाली की स्थापना की है। इस पर सरकार का अधिक नियन्त्रण नहीं होता तथा इनमें शिक्षा का सारा खर्च बच्चों के मां-बाप उठाते हैं, इसलिये धनवान ही इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें से अधिकांश स्कूल प्रदेश के प्रमुख नगरों में स्थित हैं, इस प्रकार शिक्षा के संदर्भ में क्षेत्रीय और वर्गीय असमानता बढ़ती है। इसी क्रम में इस विश्लेषण में गैर सरकारी (अराजकीय) शिक्षा संस्थाओं का जिक्र महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रदेश में गैर राजकीय स्कूलों की संख्या

	1993-94	1996-97	1998-99
प्राथमिक	30086(72%)	30786(68%)	1011(68%)
उ. प्राथमिक	8072(19%)	10310(23%)	10428(23%)
माध्यमिक	2892(7%)	2923(6%)	3109(7%)
उ. माध्यमिक	804(2%)	1054(3%)	1306(2%)
कुल	41826	45073	45854

प्रदेश में राजकीय स्कूलों की संख्या

	1993-94	1996-97	1998-99
प्राथमिक	3031(55%)	3015(48%)	353(39%)
उ. प्राथमिक	1781(32%)	2382(38%)	4120(48%)
माध्यमिक	442(8%)	578(9%)	735(9%)
उ. माध्यमिक	284(5%)	350(5%)	377(4%)
कुल	5538	6325	8585

वर्ष 1998-99 में राज्य में कुल विद्यालय 54439 थे, जिनमें से 45854 (84%) विद्यालय राजकीय थे और 8585(16%) विद्यालय ही गैर राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत थे। 1993-94 एवं 1996-97 में इनका अनुपात 88 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत ही रहा। इस प्रकार 1998-1999 में गैर सरकारी विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था में प्रभुत्व बढ़ा। यह बढ़ा हुआ

प्रभुत्व इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान जहां सरकारी विद्यालयों की संख्या में 7.76% की वृद्धि हुई वहीं गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हुई तथा वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान यह वृद्धि क्रमशः 1.73% एवं 35.73% की रही।

वर्ष 1993-94, 1996-97 एवं 1998-99 में प्रदेश में राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर वितरण को देखते हुए हम आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में पिरामिडनुमा ढांचा और उच्च शिक्षा में बढ़ता संकुचन सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रणालियों में केवल बना ही नहीं रहा, बल्कि समय के साथ साथ बढ़ता रहा।

शिक्षा की गैर सरकारी प्रणाली में दो प्रकार के विद्यालय आते हैं। एक वे जो कि सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं और दूसरे वे जो सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करते। अनुदान लेने वाले विद्यालयों पर दिसम्बर 1989 का शिक्षा अधिनियम लागू होता है, इस कारण इन पर सरकार का कुछ नियंत्रण रहता है लेकिन जो विद्यालय अनुदान नहीं लेते, उन पर तो सरकार का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिये एक नजर इनकी स्थिति एवं गति पर डालना अति आवश्यक है।

वर्ष 1993-94 में प्रदेश में अनुदान लेने वाली गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या 938 थी, जो कि 1996-97 में बढ़कर 956 हो गई और 1998-99 में 960। प्रतिशत के आधार पर यह वृद्धि क्रमशः 29 एवं 0.4 प्रतिशत रही। इसी काल में अनुदान नहीं लेने वाली संस्थाओं की संख्या क्रमशः 4600 से बढ़कर 5369 और 1998-99 में 7625 हो गयी। प्रतिशत के आधार पर यह वृद्धि क्रमशः 17% और 42% की रही। इन तथ्यों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में गैर अनुदानित अराजकीय क्षेत्र का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है। इसके लिये सरकार और प्रशासन का इन संस्थाओं के लिए बढ़ता हुआ संरक्षणकारी रवैया जिम्मेदार है।

हमारे सामने अब यह साफ है कि प्रदेश के शैक्षणिक पिछड़ेपन और असमानता को सहारा देने वाली शक्ति हमारी शिक्षा व्यवस्था के इस दोहरे चरित्र में निहित है (सरकारी स्कूली शिक्षा और गैर सरकारी स्कूली शिक्षा)। यदि हम इसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें गैर अनुदानित अराजकीय स्कूलों के बढ़ते कदमों को बांधना होगा। सरकारी स्कूलों में बढ़ती हताशा और अव्यवस्था को दूर करने के लिये न सिर्फ उनकी संख्या बढ़ानी होगी बल्कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा के बीच अनुपात को भी ठीक करना होगा।◆